न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 120/19 ता0रजु. 26.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

लक्ष्मन पुत्र रज्जाक

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कुम्हा मलका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कुम्हा मलका के खसरा नम्बर 622 रकबा 9.10 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री लक्ष्मन s/o मुलखमुर्दि सा. कुम्हा मलका तह0 बयाना ने 0.23, 0.08 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जबाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 622 रकवा 0.23, 0.08 हैक्ट. वाके ग्राम कुम्हा मलका से बेदखल किया जाता है। लगान 0.04 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 42/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बावत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29
4/2/20 2019-20
150 42/-

तहसीलदार
बयाना

तहसील राजस्व ...